Court of S.P.I. Sec-1 Banka

Amarpur (Fullidaria) 658/19.

S.P.I. Sec. 541/19

23.4.20. कार्य वृद्धि: अभियुक्त गोपाल कुमार यादव की ओर से दाखिल किये गये एवं लंबित Petition पर सुनवाई किया गया एवं लोप Petition को स्वीकार करने हेतु आवेदन दिया गया। विपक्ष की ओर से अभियोजन को कुछ नहीं विशेष रूप से अभिवचन नहीं। अभियुक्त के अधिवक्ता मुनि। करते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 के अन्तर्गत लोप Petition दायर है अभियुक्त अपना लोप Petition करने का अनुमति चाहता है लोप Petition करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय। अभियोजन की ओर से विपक्ष में किया अवलोकन अभियोजन का अवलोकन किया गया अभियुक्त के विरुद्ध में निहित होता है कि अभि. उप. निरी. के प्रतिवेदन धारा 379 I.P.C. का है अभियुक्त का लोप किया गया है अभियुक्त को लोप Petition करने की अनुमति प्रदान की जाती है

तदनुसार धारा 6(A) का उल्लंघन किये हेतु अभियुक्त पर 2500/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है अभि. उप. निरी. को अर्थदण्ड लगाया जाता है अर्थदण्ड की वसूली हेतु कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है

S.D.J.M.

23.4.20 कार्य वृद्धि: अभियुक्त की ओर से अर्थदण्ड की राशि रु० 2500/- रुपये नकद चालान 016504 दिनांक 23.4.20 के माध्यम से न्यायालय के खाता-2110 कोषागार में जमा किया गया अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है मोटरयान कार्यालय रिवाल्वर निर्गत करने एवं जब्त रिवाल्वर को कार्यवाही समाप्त की जाती है अभियोजन अभियोजन में जमा करें

S.D.J.M.